

विषय : सिटी थाना डबरा द्वारा दिनांक **28/06/2022** को प्रकरण क्रमांक **567/2022** में आरोपियों की गिरफ्तारी न करना, आरोपियों द्वारा आवेदक को घेरकर धमकाना, जान से मारने की धमकी देना, आरोपी रेनू सिंह द्वारा अपने परिजनों के माध्यम से अन्य मामलों में आवेदक को फसाने की धमकी देना, कई बार आरोपियों की स्थिति/फोन नंबरों से श्रीमान थाना प्रभारी एवं प्रकरण में विवेचनाकर्ता को तत्काल अवगत कराने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न करना, सीएम हेल्पलाइन (**18281762**) भी पुलिस विभाग पर निष्क्रिय होने के संबंध में।

माननीय महोदय,

आपके निर्देशन में भोपाल जांच शाखा से प्राप्त अभिमत के आधार पर सिटी थाना डबरा द्वारा प्रकरण क्रमांक **567** दिनांक **28/06/2022** को दर्ज किया गया है जिसमें आरोपी राजेन्द्र सिंह सिसोदिया पुत्र श्री शिव सिंह सिसोदिया, रेनू सिंह पत्नी राजेन्द्र सिंह सिसोदिया, गजानंद श्रीवास्तव पुत्र भगवती प्रसाद श्रीवास्तव एवं रामबाबू तिवारी पुत्र रामअवध तिवारी पर भा.दं.सं. की धारा **420, 467, 468, 471** के तहत मामला मेरे दादाजी की फर्जी एवं बनावटी वसीयत बनाने एवं नामांतरण कराने के उपरांत भोपाल जांच शाखा से प्राप्त अभिमत के आधार पर पंजीकृत किया गया है।

इस संबंध में सिटी थाना डबरा द्वारा राजेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी तत्काल करते हुए न्यायालय में पेश कर चुके हैं परंतु अन्य तीनों आरोपियों को बाहर खुले में घूमने दिया जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप बनावटी वसीयत में दोनों गवाह गजानंद श्रीवास्तव एवं रामबाबू तिवारी आवेदक को खुले में घूमते हुए बाजार में खरीदारी करते हुए भी पाए गए, दोनों बार आरोपियों द्वारा मुझे धमकाने का भी प्रयास किया एवं जान से मारने की भी धमकी दी एवं जेल में बंद राजेन्द्र सिंह से उनका संपर्क होने की बात कही गई। आवेदक द्वारा सिटी थाना प्रभारी को सूचित भी किया गया परंतु आरोपी भाग गए, अन्य समय गजानंद श्रीवास्तव भी अपने निवास के समय रात्रि में आवेदक को मिले एवं पुनः धमकाने का प्रयास किया, ऐसी स्थिति में यह पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि सभी आरोपी अपने निज निवास के समीप ही किसी अन्य घटना को घटित करने के उद्देश्य से रह रहे हैं एवं आवेदक को जान से मार देना चाहते हैं। रेनू सिंह के द्वारा स्वयं के एवं आवेदक के परिजनों के माध्यम से अन्य केसों में फसाने की धमकी एवं बच्चियों सहित आत्महत्या करके आवेदक को फसाने की धमकी भी दी जा रही है जिससे आवेदक पूर्ण रूप से परेशान हो चुका है, रेनू सिंह भी अपने निज निवास एवं उसके आसपास ही रह रही हैं एवं खुलकर अपने/पति/बच्चों के फोन का उपयोग कर रही हैं जिसकी जानकारी भलीभांति आवेदक पुलिस को दे चुका है परंतु पुलिस ने सीएम हेल्पलाइन शिकायत क्रमांक **18281762** दर्ज होने के उपरांत अनदेखा कर दिया एवं ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के पीछे पुलिस की सहानुभूति एवं महत्वपूर्ण भूमिका ही है नही तो पुलिस प्रशासन इतना लाचार नहीं है कि आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी न कर सके।

श्रीमान को पुनः अवगत कराना चाहता हूं कि सभी आरोपी समय पर अपने निवास पर ही रहकर अपने एवं परिजनों के फोन के माध्यम से अपने काम साध रहे हैं एवं पुलिस विभाग इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में एक महीने के बाद भी आज दिनांक तक असफल रहा है, सभी आरोपी पूर्व में अपराधी नहीं रहे हैं परंतु फिर भी इनका ना पकड़ा जाना विभाग पर सवाल उत्पन्न करता है, आवेदक को जान की हानि हो सकती है अथवा झूठे मामलों में फसाया भी जा सकता है, पुलिस विवेचना को भी निश्चय ही प्रभावित किया जा सकता है। श्रीमान जी से निवेदन है कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए।

संलग्न : सिटी थाना डबरा द्वारा प्रथम सूचना क्रमांक **567/2022** की छायाप्रति।

प्रार्थी

जितेन्द्र सिंह सिसोदिया पुत्र स्व. श्री वीरेन्द्र सिंह सिसोदिया

निवासी कमलेश्वर कॉलोनी डबरा जिला ग्वालियर

मोबा. - 9886589340